तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज शंकरलाल बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 236/2023 (ऑनलाईन 353009478315897)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.11.23	अपीलार्थी शंकरलाल सिसोदिया निवासी शान्तिप्रिया कॉलानी, बोरून्दा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.08.2023. में उसके द्वारा (1) मिसल नं. 178 दिनांक 11.06.2014 व भूमि लीजडीड नं. 79 दिनांक 26.12.2004 जो ग्राम पंचायत बोरूंदा द्वारा आंबटन किया गया, को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी राजेश कच्छावाह पुत्र रामपाल माली निवासी बोरून्दा मार्फत अधिवक्ता श्री रितुराजसिंह द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर(भूमि रूपान्तारण) जोधपुर को प्रार्थना पत्र दिया गया की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर(भूमि रूपान्तरण) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1120 दिनांक 18.10.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर से संबंधित होने के कारण धारा 5(4) के तहत लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर भूमि रूपान्तरण जोधपुर) को कार्यालय के पत्रांक 1012 दिनांक 17.08.23 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अति. जिलाकलक्टर (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में अति. जिला कलक्टर (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण धारा 5(5) के तहत इन्हें लोक सूचना अधिकारी मानते हुए सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश देने की इस्तदुआ की। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अति.जिला कलक्टर (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारण से अवगत करवाया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	